सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई स्लीपर बस, 21 यात्री घायल

गोवंश को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, पुलिस मौके पर पहुंची

हादसे में बस के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया।

- 15 घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, एक जयपुर रैफर

नदबई, (निसं)। आगरा-जयपुर राजमार्ग पर डहरा मोड़ के समीप गुरुवार तड़के करीब तीन बजे बेसहारा गोवंश को बचाने की जुगत में सड़क किनारे खड़े ट्रक से स्लीपर बस की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते बस में सवार करीब 21 जने घायल हो गए।

हादसे के दौरान तेज धमाका होने व बस में सवार यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर डहरा मोड़ चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंची और घायलों को मशक्कत कर बस से निकाला। बाद में डहरा मोड़, नदबई, बांसी 108 एम्बूलेंस व हाइवे एम्बूलेंस से 15 घायलों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जबकि, छह अन्य घायलों का मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया गया। उधर, स्लीपर बस को ट्रक से टकराने के बाद सड़क के बीच डिवाइडर पर चढ़ने से राजमार्ग पर वाहनों का संचालन बाधित हो गया। बाद में पुलिस ने क्रेन की सहायता से स्लीपर बस को हटाते हुए करीब आधा घण्टे बाद वाहनों का संचालन शुरु कराते हुए दोनों वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से कब्जे में ले लिया।

जानकारी के अनुसार धौलपुर निवासी बस चालक दयाशंकर शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा व परिचालक राजा पुत्र फरीदा, बस में जयपुर से सवारी लेकर धौलपुर जा रहा। इसी दौरान डहरामोड़ के समीप सड़क पर घूम रहे गोवंश को बचाने की जुगत में बस की सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसके चलते चालक-परिचालक सहित बस में सवार करीब 21 जने घायल हो गए। उधर, देर रात अचानक हुए हादसे से बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। डीजल खत्म होने के चलते ट्रक सड़क किनारे खड़ा हुआ था, हालांकि, इस संदर्भ में देर शाम तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ।

हादसे में चालक दयाशंकर शर्मा व परिचालक राजा सहित बस में सवार धौलपुर निवासी सर्वेश पत्नी केशव कुशवाह, जयवीर ठाकुर पुत्र दीनानाथ, वीकेश जाटव पुत्र रामलाल जाटव, नसीम पत्नी खलील, शाहरुख पुत्र खलील, अरुण पुत्र जगराम एवं आगरा निवासी राजू सिंह पुत्र शिवगणेश, आकाश प्रजापत पुत्र प्रेमसिंह, जलसिंह पुत्र मानसिंह, रविन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह, योगेश पुत्र मांगेलाल, कुंवरपाल पुत्र जसवंत, बच्चन सिंह पुत्र अशरफी घायल हो गए। हादसे में घायल चालक को गंभीर स्थिति में जयपुर रैफर किया गया जबकि, छह अन्य घायलों का चिकित्साकर्मियों ने मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया।

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जोधपुर पहुंची

- राजे ने शेरगढ़ विधायक पुत्र की शादी में शिकरत की

जोधपुर, (कासं)। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर पहुंची। यहां एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजे का स्वागत किया। वसुंधरा राजे विशेष तौर पर शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के पुत्र के विवाह के बाद आयोजित आशीर्वाद समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंची है।

एयरपोर्ट पर राज्य सरकार के पूर्व मंत्री अर्जुनलाल गर्ग, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, जेडीए के पूर्व चेयरमैन डॉ. महेंद्र सिंह, भाजपा नेता सुनील सीरवी, नरेश सुराणा, नरेंद्र कच्छवाहा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भोपाल सिंह बडला ने राजे की अगवानी की। वसुंधरा राजे के एयरपोर्ट से बाहर निकलने के साथ नारे लगे और फूल मालाओं के साथ दुपट्टे पहनाकर वसुंधरा राजे का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए राजे ने 144 साल बाद कुंभ के बने संयोग का जिक्र किया और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या राजमाता विजय राजे सिंधिया की पुण्यतिथि है। राजमाता विजय राजे सिंधिया की पुण्यतिथि के अवसर पर जब दर्शन होंगे तो उसका विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार विकास के काम एक साल से लगातार कर रही है लेकिन राजस्थान में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है।

'विपक्ष बिना मुद्दों के मुद्दे तलाश रहा है'

जोधपुर, (कासं)। पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि विपक्ष बिना मुद्दों के मुद्दे तलाश रहा है। उनके पास में मुद्दे नहीं है। प्रदेश की सरकार एक साल से अच्छा कार्य कर रही है। पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ गुरुवार को जोधपुर में शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के पुत्र की शादी में शरीक होने आए और यहां मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

पूर्व प्रतिपक्ष नेता राठौड़ ने यह भी कहा कि स्कूलों को मर्ज नहीं किया गया है, जिन स्कूलों में शुन्यता है उन्हें नजदीक की अन्य स्कूल में अनुपातिक रूप से ठीक किया गया है। स्कूलों को समाप्त नहीं किया गया है। वहीं एक सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दें तलाश रहा है। इसलिए वे बिना मुद्दों के बात कहते हैं। प्रदेश की सरकार एक साल से अच्छा कार्य कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार का कार्य मुख्यमंत्री स्वविवेक आधारित है।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड नाथद्वारा जिला राजसमन्द राजस्थान

क्रमांक : 13 दिनांक : 14.01.2025

निविदा सूचना संख्या - 11/2024-25

NIB-PWD2425A3295

नवीन सड़को एवं भवनों के निर्माण कार्य हेतु ईच्छुक संवेदको से निविदा दिनांक 29.01.2025 सायं 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा के सम्बन्ध में अन्य विवरण उपापन वेबसाईट (http://www.eproc.rajasthan.gov.in और http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है। उपापन की कुल अनुमानित राशि 210.00 लाख रुपया है।

S.No.of Work	UBN No.	S.No.of Work	UBN No.
1	PWD2425WSOB13750	2	PWD2425WSOB13751

(भानु प्रकाश माथुर)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड नाथद्वारा

DIPR/C/743/2025

OFFICE OF THE PRINCIPAL, RNT MEDICAL COLLEGE & CONTROLLER ASSOCIATED GROUP OF HOSPITALS, UDAIPUR (RAJ.)

No. RNT/Pur-I/F.16/(e-Tendering Proc)/2024-25/756 Dated: 14.01.2025

Notice Inviting Bid No.18/2024-25(e-Tender)

Bids for Medical Equipments are invited from interested bidders upto Date: 27.01.2025 Time: 10.30 AM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state. **UBN- MCU2425GLOB00153, MCU2425GLOB00154, MCU2425GSOB00155, MCU2425GSOB00156, MCU2425GLOB00157, MCU2425GLOB00158, MCU2425GLOB00159**

(Dr. Vicin Mathur)
PRINCIPAL & CONTROLLER

DIPR/C/789/2025

कार्यालय (वि0) नगर निगम कोटा दक्षिण (राज0)

क्रमांकः– ननिको द./वि0/2025/1131–1136 दिनांक 22.01.2025

–:: संशोधित ई–निविदा सूचना ::–

तकनीकी कारण से इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा क्रमांक ननिको द./वि0/2025/1121–1126 दिनांक 15.01.2025 को जारी की गई निविदा में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है –

1. निविदा अपलोड करने की तिथि : 03.02.2025 (दोपहर 12 बजे तक)
2. धरोहर राशि/निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस प्राप्त के साक्ष्य प्राप्ती तिथि : 03.02.2025 (सायं 5 बजे तक)
3. निविदा तकनीकी बिड खोलने की तिथि : 05.02.2025 (सायं 6 बजे तक)
4. वित्तिय बिड खोलने की तिथि : तकनीकी बिड परिक्षण पश्चात्

उक्तानुसार निविदा की तिथि बढाई जाती है। शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

अधिशाषी अभियंता (वि0)
नगर निगम कोटा दक्षिण

राज.संवाद/सी/24/10725

युवक का शव मिला

भरतपुर, (निसं)। थाना भुसावर के गांव हाथौड़ी स्थित राजशाही कुंड में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भुसावर थाना पुलिस ने लोगों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए भुसावर की मोर्चरी में रखवाया। थानाधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि थाना के गांव हाथौड़ी निवासी बने सिंह पुत्र लालचंद गुर्जर जो गांव के ही कुंड में नहाने गया था, डूबने से मौत होने की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर तुरंत मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए मोर्चरी पर रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

रिश्वत की मांग करने व लेने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई

- पं. स. आसींद के पूर्व जेटीए व ग्राम पंचायत जगपुरा के तत्कालीन ग्रामसेवक पदेन सचिव को सजा सुनाई

भीलवाड़ा, (निसं)। विशिष्ट न्यायाधीश (एसीबी कोर्ट) पवन कुमार सिंघल ने पंचायत समिति आसींद के पूर्व जेटीए कैलाशचंद्र शर्मा व ग्राम पंचायत जगपुरा के तत्कालीन ग्रामसेवक पदेन सचिव अहसान मोहम्मद को रिश्वत की मांग करने व लेने के मामले में दो-दो साल की सजा और 2525 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार, जगपुरा निवासी परिवादी कैलाशचंद्र मेघवंशी ने एसीबी के तत्कालीन एएसपी भीमसिंह बीका को प्रार्थना-पत्र दिया कि उसके पिता के नाम गांव में नरेगा के तहत खेत में मेड़बंदी, जैविक बाड़ व बागवानी विकास और तालाब की मिट्टी खेत में डालने के कार्य के लिए जिला परिषद से 1 लाख 77 हजार रुपये स्वीकृत हुआ था। उक्त कार्यादेश 7 फरवरी 2011 को पंचायत समिति आसींद से जारी किया जा चुका है। खेत में उक्त कार्य मस्टरोल से पूर्ण करवाया जा चुका है। परिवादी द्वारा कार्य का भुगतान करने के लिए ग्राम सचिव अहसान खान व जेटीए कैलाशचंद्र शर्मा से मिला तो उन्होंने कहा कि 20 हजार रुपये रिश्वत के एवज में बिल पास करने की बात कही। इस पर परिवादी ने करीब एक वर्ष पूर्व जेटीए कैलाशचंद्र शर्मा को सात हजार रुपये दिये। इस पर जेटीए ने कहा कि अभी 24 हजार का बिल बनवा रहा हूं। बाद में होगा जो बिल बना दूंगा।

परिवादी ने एसीबी को दी शिकायत में बताया कि उसने खेत पर संपूर्ण कार्य करवा दिया। इस कार्य की शेष राशि 1 लाख 77 हजार रुपये का भुगतान करने के लिए परिवादी जेटीए शर्मा से मिला तो उन्होंने बिल के भुगतान के लिए 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। कहा कि 20 हजार रुपये सचिव खान को दे देना। परिवादी ने शिकायत में बताया कि वह इन दोनों को रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। परिवादी की शिकायत का एसीबी ने सत्यापन करवाया। सत्यापन होने के बाद ट्रैप का आयोजन किया। परिवादी को आरोपित के किराये के मकान पर भेजा। परिवादी का इशारा पाकर एसीबी टीम मौके पर पहुंची, जहां जेटीए शर्मा व सचिव बैठे थे। परिवादी ने एसीबी टीम को बताया कि उसके पिता गिरधारी लाल के खेत पर करवाये गये कार्य के रुपये का इंद्राज माप पुस्तिका में दर्ज कर भुगतान करवाने की एवज में उससे 10 हजार रुपये जेटीए कैलाशचंद्र शर्मा ने मांग कर अहसान मोहम्मद को दिलवाये हैं। एसीबी ने जेटीए शर्मा को खेत पर कराये गये कार्य के रुपयों का इंद्राज माप पुस्तिका में दर्ज करने व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव अहसान को उक्त कार्य का भुगतान करवाने की एवज में 20 हजार रुपये की मांग कर 10 हजार रुपये प्राप्त कर जेटीए शर्मा को देने के आरोप में गिरफ्तार कर राशि बरामद कर ली।

एसीबी ने मामले की जांच कर लसाड़िया निवासी और पंचायत समिति आसींद के पूर्व जेटीए कैलाशचंद्र पुत्र नारायणलाल शर्मा व तेलीपाड़ा गुलाबपुरा निवासी और ग्राम पंचायत जगपुरा के तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव अहसान मोहम्मद के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

रजि. ऑफिस.– विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005
Website:http://energy.rajasthan.gov.org/jvvnl
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (कोटा संभाग)
नयापुरा पॉवर हाऊस, खाई रोड़, कोटा– 324001 दूरभाष नं. 0744– 2320881, 2450066 ईमेलः– zcekz@jvvnl.org

ई–निविदा सूचना

ई–निविदा दो भागों में तकनीकी–वाणिज्यिक,जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के झालावाड़वृत में उपखण्ड सहायक अभियन्ता(पवस) सारोलाकलां के अन्तर्गत 132 केवी सारोलाकलां जीएसएस से स्वीकृत 33/11 केवी सब स्टेशन चंदलिया से होते हुए स्वीकृत 33/11 केवी सब स्टेशन अकावद तक28 किमी 33 केवी लाइन (परवन प्राजेक्ट के अंतर्गत) कार्य करने हेतु (टीएन 43) (2024–25) एआरसी पर योग्य निविदादाताओं से श्रम दर पर डिपोजिट वर्क के अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। (VVN2425WSOB01043). योग्य निविदादाता सम्पूर्ण निविदा सम्बन्धित दस्तावेज ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 28.01.2025 से डाउनलोड कर सकते है। निविदाऐं ऑनलाईन ई–पोर्टल पर दिनांक 06.02.2025 को सांय 05:00 बजे तक ही स्वीकार की जावेगी। निविदा सम्बन्धी जानकारी, कार्य का विवरण इत्यादि जयपुर विद्युत वितरण निगम की वेबसाईट http://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, http://www.sppp.rajasthan.gov.in & **http://www.eproc.rajasthan.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है।

जेपीआर–2945 (2025) संभागीय मुख्य अभियंता (कोटा संभाग)
राज.संवाद/सी/24/10742 बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6507

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक-निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी(ML 02)/2025/ई-09834

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय-III के तहत निम्नांकित एम-सेण्ड तथा गेप प्लॉटो के आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किये जाने हेतु इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर बोली आमंत्रित की जाती है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः-

जिला	तहसील	राजस्व ग्राम	खनिज	कुल प्लॉट
धौलपुर	सरमथुरा	कछपुरा	सेण्डस्टोन	6
झालावाड़	पचपहाड़	रूणजी	लाइमस्टोन (डायमेन्शनल) व मेसेनरी स्टोन	1
ब्यावर	रायपुर	सुमेल	क्वार्टज-फैल्सपार	2
बीकानेर	कोलायत	किश्नायतबुद्धान	बॉल क्ले, सिलिकासेण्ड, बजरी, कंकर व मुर्रम	2
बून्दी	तालेड़ा	धनेश्वर	सेण्डस्टोन एवं खण्डा (मेसेनरी स्टोन)	1
कोटा	चेचट	चेचट	लाईमस्टोन (डाईमेन्शनल), मेसेनरी स्टोन	2
सिरोही	सिरोही	फलवदी	ग्रेनाइट	13
चित्तौड़गढ़	भदेसर	मगरदा	चायना क्ले, मेसेनरी स्टोन (क्वार्टजाईट)	1
		भीमलोद	चाईना क्ले, क्वार्टजाइट एवं मेसेनरी स्टोन	1
		सोमावास	चायना क्ले, क्वार्टजाईट व मेसेनरी स्टोन	1
	गंगरार	अमरपुरा	ग्रेनाईट व मेसेनरी स्टोन	17
भीलवाड़ा	बनेड़ा	रूपाहेली खुर्द	ग्रेनाईट	5
	माण्डल	रूपाहेली खुर्द	ग्रेनाईट, क्वार्टज फेल्सपार	1
	हमीरगढ़	दलेलसिंहजी का खेड़ा	चायना क्ले, मेसेनरी स्टोन (क्वार्टजाईट)	1
	रायपुर	नाथडियास	क्वार्टज फेल्सपार, माईका	1
	आसींद	ईन्द्रपुरा	ग्रेनाईट	11
			ग्रेनाईट व क्वार्टज	1
		कटार	ग्रेनाईट	10
		दौलतगढ़	ग्रेनाईट	3
		जोधा का खेड़ा	ग्रेनाईट, क्वार्टज व मेसेनरी स्टोन	7
प्रतापगढ़	धरियावाद	लोहागढ़	मारबल	3
राजसमंद	राजसमंद	दोवड़	क्वार्टज फेल्सपार व ग्रेनाईट	1
	आमेट	काजीगुढा	क्वार्टज फेल्सपार, ग्रेनाईट व मेसेनरी स्टोन	2
डूंगरपुर	डूंगरपुर	दामड़ी	मेसेनरी स्टोन	3
डीडवाना-कुचामन	डीडवाना	कोलिया	मेसेनरी स्टोन	15
उदयपुर	मावली	चन्देसरा	मेसेनरी स्टोन	5
	नयागांव	महीडा	मेसेनरी स्टोन	2
डूंगरपुर	दोवडा	फलोज	मेसेनरी स्टोन	1
दौसा	सिकराय	कालवान	मेसेनरी स्टोन	1
जयपुर	दूदू	साखून	ग्रेनाईट एवं मेसेनरी स्टोन	2
	जालसू (आमेर)	दादर	मेसेनरी स्टोन	1
जोधपुर	औसिया	पाबूनगर	मेसेनरी स्टोन	27
जैसलमेर	जैसलमेर	हडडा	लाइमस्टोन (डाइमेन्सनल)	15
नागौर	मुण्डवा	पालडीव्यासा	मेसेनरी स्टोन	23
	मूण्डवा	पालडीव्यासा	मेसेनरी स्टोन	30
	रियावडी	पिपलिया	ग्रेनाईट	6
	लाडनूं	बाकलिया	मेसेनरी स्टोन	7
टोंक	मालपुरा	फूलमालियान	ग्रेनाईन	13
अजमेर	भिनाय	रामालिया	ग्रेनाईट व मेसेनरी स्टोन	13
	सावर	सावर	मारबल	2
अलवर	थानागाजी	डेरा	मेसेनरी स्टोन	2
योग				261

विशेष नोट -

1 प्लॉटो का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण, ई-ऑक्शन की शर्ते विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता कंपनी MSTC Ltd. की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध है।

(भगवती प्रसाद) IAS निदेशक

DIPR/C/750/2025

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को दस साल की सजा सुनाई

श्रीगंगानगर, (निसं)। साढ़े तेरह साल की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी पाए गए युवक को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या एक के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने सुनाया। दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय के लोक अभियोजक हरवीरसिंह बराड़ ने बताया कि यूपी के इटावा जिला के वनकटी खुर्द गांव निवासी 20 वर्षीय राहुल कुमार कोहली पुत्र श्यामसुंदर को यह सजा सुनाई गई है। यह मुकदमा जैतसर थाने में 15 नवंबर 2023 को पीड़ित किशोरी की मां ने दर्ज करवाया था। दोषी युवक किशोरी का अपहरण करके ले गया था। किशोरी को धौलपुर के राजाखेड़ा स्थित एक ईंट भट्ठा की कॉलोनी से बरामद करके लाया गया था। किशोरी ने पुलिस और मजिस्ट्रेट ब्यानों में युवक पर अपहरण करके ले जाने और बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप दोहराए। इस पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई में युवक के दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई है।

उल्लेखनीय है कि 13 साल 6 माह की किशोरी के गायब होने के बाद पुलिस को उसकी तलाश में बहुत कोशिश करनी पड़ी। क्योंकि किशोरी के पास मोबाइल फोन नहीं था। किशोरी के परिजनों को किसी पर संदेह भी नहीं था कि उसका अपहरण किसने किया है। इस पर पुलिस ने पहले किशोरी के गांव के आसपास के एरिया में गायब युवक का पता लगाया। फिर उस युवक की तलाश शुरू की। युवक भी शातिर था। उसने भी अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा था। उसके गांव इटावा जिले में पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन युवक और किशोरी वहां नहीं मिले। इस पर पुलिस ने युवक के जैतसर थाना एरिया में रहते जिन-जिन बाहर के लोगों से फोन पर बातचीत की हुई थी, उन नंबरों की लोकेशन निकालकर तलाश शुरू की, तब जाकर किशोरी को मई 2024 में धौलपुर जिले से बरामद किया जा सका। जब किशोरी को बरामद कर लाया गया, तब वह सात सप्ताह की गर्भवती पाई गई थी। इस संबंध में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी।

एसपीपी हरवीरसिंह बराड़ ने बताया कि यह मुकदमा जैतसर थाने में 15 नवंबर 2023 को दर्ज हुआ था। पुलिस ने किशोरी को बरामद और आरोपी को मई 2024 में गिरफ्तार किया। इसके बाद 9 जुलाई 2024 को कोर्ट में चालान पेश कर दिया। न्यायालय ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए 7 माह और 13 दिन बाद फैसला सुनाया। प्रकरण में उनकी तरफ से 23 गवाह पेश किए गए। इसके साथ ही 42 दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए गए। एसपीपी बराड़ ने बताया कि दोषी ठहराया गया युवक किशोरी को भगाकर ले जाने के दौरान 19 साल का था। वह किशोरी के गांव के निकट ईंट भट्टे पर काम करता था, किशोरी के गांव में मकान किराए पर लेकर रहता था। किशोरी का अपहरण करके व उसे फिरोजाबाद लेकर गया। वहां काफी समय रहने के बाद धौलपुर ले आया। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में था। दोषी पर लगाया गया जुर्माना और प्रतिकर योजना के तहत परिलाभ किशोरी को दिलवाया जाएगा।

जर्जर हो चुके छह दुकानों के छज्जे गिरे, एक घायल

अजमेर, (कासं)। अजमेर के केसरगंज में गुरुवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गोल चक्कर स्थित दयानंद मार्केट में बनी 6 दुकानों के छज्जे भरभराकर गिर गए। हादसे में हलवाई की दुकान पर काम करने वाला एक मजदूर घायल हो गया। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद, नगर निगम की टीम व पुलिस मौके पर पहुंची।

जानकारी के अनुसार केसरगंज स्थित दयानंद मार्केट गोल चक्कर की छह दुकानों के छज्जे गुरुवार सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच धराशाही हो गए। गनीमत यह रही उस समय इन दुकानों के बाहर किसी प्रकार की आवाजाही या भीड़ नहीं थी, जिसके कारण बड़ी जनहानि होने से टल गई हालांकि एक मिठाई वाले की दुकान पर काम करने वाला मजदूर लड़का मामूली रूप से चोटिल हुआ है, जिसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया। देखते ही देखते वहां पर दुकानदारों की भीड़ लग गई तथा इलाके की पार्षद भारती श्रीवास्तव और केसरगंज पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल भारत सहित नगर निगम और टाटा पावर की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई।

नगर निगम वार्ड 16 की पार्षद भारती श्रीवास्तव ने बताया कि दयानंद मार्केट स्थित गोल चक्कर में बनी सीताराम पान वाले, गुलाब मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी वाले, हलवाई की दुकान सहित दो अन्य दुकानों के छज्जे सुबह टूटकर गिरे हैं। पार्षद श्रीवास्तव ने कहा कि परोपकारिणी सभा इन दुकानों से किराया वसूलती है, दुकानों की रखरखाव की जिम्मेदारी भी सभा के सदस्यों की ही है, लेकिन उनके द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण यह हादसा घटित हुआ। घटना के समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होने से बड़ी जनहानि नहीं हुई, यही हादसा दोपहर के समय होता कई लोग चपेट में आते।

कपड़ों की दुकान के व्यापारी ने बताया दयानंद मार्केट गोल चक्कर आर्य समाज की संस्था परोपकारिणी सभा को दुकानों को नगर निगम द्वारा दे रखा है, जिसके कारण परोपकारिणी सभा ही इन दुकानों की देखरेख करती है और दुकानदारों से किराया वसूल करती है, लेकिन पिछले लंबे समय से परोपकारिणी सभा के सदस्यों द्वारा दुकानों के बाहर लगे छज्जे जो जर्जर अवस्था में हो चुके हैं, उनका मरम्मत नहीं कराया जा रहा था। कई बार कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जिसके चलते आज यह गंभीर हादसा घटित हो गया।

पार्षद श्रीवास्तव ने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही टाटा पावर और नगर निगम की टीम भी मौके पहुंची। नगर निगम के कर्मचारियों ने मलबे को साइड में करवाकर व्यवस्थाएं की। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा इन सभी दुकानों को नोटिस दिया जाएगा, जिससे कि इन दुकानों को सही करवाकर मरम्मत करवाई जा सके। इस हादसे के कारण दुकानों को काफी नुकसान हुआ है। जानकारी मिलने पर क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड सलूम्बर
जिला सलूम्बर 313 027

क्रमांकः 2608 निविदा सूचना संख्या EE 02 वर्ष 2024-25 दिनांक : 08/01/2025

(NIB CODE-WRD2425A0413)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस कार्यालय की निविदा सूचना 02/वर्ष 2024-25 निम्नलिखित कार्यों हेतु आमन्त्रित की जाती है। जल संसाधन विभाग राजस्थान के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं अन्य राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत सगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में राजस्थान सरकार के "अअ" श्रेणी के समकक्ष पंजीकृत संवेदकों / सम्बन्धित विभागों से पुनरावलोकन किया हुआ हो, से उक्त कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से सिंगल कवर में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुरूप निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से डाउनलोड एवं अपलोड की जावेगी।

क्र. स.	कार्य का नाम	निविदा की लागत (रूपये)	धरोहर राशि (रूपये)		निविदा शुल्क (रूपये) (वर्षा ऋतु एव नहर संचालन सहित)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	Defect Liability Period
			0.50%	2%			
1	2	3	4	5	6	7	
पंचायत समिति-सलूम्बर							
1	Repair and Repairing of Taliya wala Mahuda Anicut in GP Bassi Samchot **WRD2425WSOB01467**	5555055.80	27775/-	111101/-	1000/-	12 Month	Five Year
2	Repair and Renovation of Singhawat Talai Anicut in Village Bassi Singhawat **WRD2425WSOB01469**	3056693.93	15283/-	61134/-	1000/-	12 Month	Five Year
3	Repair and Renovation of Dharod Anicut in village Dharod **WRD2425WSOB01471**	3926470.33	19632/-	78529/-	1000/-	12 Month	Five Year
4	Repair and Renovation of Pipla Vela Anicut in village Dhawdi Mangri **WRD2425WSOB01473**	3484152.48	17421/-	69683/-	1000/-	12 Month	Five Year
5	Repair and Renovation of Kadhaiya Anicut in village Dhawdi Mangri **WRD2425WSOB01475**	2829560.27	14148/-	56591/-	1000/-	12 Month	Five Year
6	Repair and Renovation of Bandli Dhawdi Anicut in village Jailawat Fala **WRD2425WSOB01477**	4395703.94	21979/-	87914/-	1000/-	12 Month	Five Year
पंचायत समिति-सराडा							
7	Repair and Renovation of Anicut 1 (Khareda Anicut) Dhantalai G.P Nimboda The, Sarada District Salumber **WRD2425WSOB01479**	2603207.00	13016/-	52064/-	1000/-	12 Month	Five Year

नियम/शर्ते एवं सामान्य जानकारी निम्नानुसार हैः-

निविदा online वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in पर डाउनलोड एवं अपलोड की जा सकेगी। निविदादाताओं को डिजीटल हस्ताक्षर भी इसी वेबसाईट पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

1. निविदा संबंधित अन्य विवरण उक्त वेबसाईट पर देखे जा सकते है।
2. निविदादाता को ई-ग्रास चालान के माध्यम से निविदा शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क तथा धरोहर राशि निम्नानुसार बजट मदो में जमा करवानी होगी :-

निविदा शुल्क राशि (रु. 500 each) : मद 0075-00-800-52-01
प्रोसेसिंग शुल्क (रु. 500 each) : मद 8658-00-102-(16)-02
धरोहर राशि (according coloum no 4&5) : मद 8443-00-108-00-00
Department Code : 47-Water Resources Department
Office Code DDO) : 834, Executive Engineer Water Resources Division Salumber
Rajkosh Code : 718
Division Account Code IRR : IIR 63
Treasury : Salumber

3. उपरोक्तानुसार निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क का ई-ग्रास चालान अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड सलूम्बर के नाम देय होगा।
4. निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in पर दिनांक 13.01.2025 से 03.02.2025 को सांय 6.00 तक डाउनलोड /अपलोड किये जा सकते है। इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in पर प्राप्त निविदाओं को अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सलूम्बर के कार्यालय में दिनांक 05.02.2025 दोपहर 01:00 बजे खोली जाएगी
5. निविदा में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 नियम 2013 के समस्त नियम एवं शर्ते लागू रहेगी।
6. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (open) रहेगी।
7. ठेकेदार निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व कार्यस्थल की भौगोलिक निरीक्षण एवं निर्माण से सम्बन्धित समस्त परिस्थितियों का स्वयं संज्ञान निश्चित रूप से कर लेवे।
8. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर.पी.डब्ल्यू.ए-100 की समस्त शर्ते लागू होगी।
9. वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक October 22, 2021 के अनुपालना में कार्यों के निविदा प्रकरणों में बीड दर अनुमानित दर से भी अधिक कम दर प्रस्तुत की जाती है, तो सफल निविदादाताओं को अतिरिक्त कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Unbalance Bid Amount) इस कार्यालय में जमा करानी होगी।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड सलूम्बर

DIPR/C/726/2025